...य उपखण्ड कठूमर जिला अलवर

2/288/2022

तारीख रजू....................

धर्मी बनाम तेजाराम वगैरा

...य हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.10.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा 183,वाके ग्राम भांवर तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में प्रार्थी के हिस्से में कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा ना करें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, एवं तलवी नहीं भरने पर अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 27.10.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 27.10.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
27/10/22	उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:11:14 IST
Reason: SelfAttested

3/7/23	वकील ... ... 5-10-22 ... वास्ते ... बजाये रीडर के दिनांक ... 28-4-23 ... को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
28/4/23	मुकदमा ... P.O वास्ते अंतिम बहस जवाबी दिनांक 10/11/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
10/11/23	मुकदमा ... P.O वास्ते अंतिम कार्यवाही जवाबी दिनांक 12/1/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
12/1/24	मुकदमा ... P.O वास्ते अंतिम कार्यवाही जवाबी दिनांक 28/5/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
28/5/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं आये वकील प्रार्थी का बार बार इन्तजार किया गया कोई उपस्थित नहीं आया अतः प्रार्थना पत्र अदम पैरवी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होवे दर्ज रजिस्टर से कम होकर बाद के संलग्न रहे सुनाया। (हस्ताक्षर) 28/5/24 उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:11:14 IST
Reason: SelfAttested